आठवीं अनुसूची

[धारा 109(1) देखिए]

क्र. सं0	अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा.का.नि. 465 (अ),–– तारीख 3 मई, 1990 (169/90- सीमाशुल्क, तारीख 3 मई, 1990)	(i) उक्त अधिसूचना में, शर्त (ii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :––– "(iii) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इस संबंध में लोक सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निबंधनानुसार और उनके पूरा करने के अधीन रहते हुए, निर्यात बाध्यता के पूरा करने की अवधि बढ़ाई जाने के लिए मंजूर करता है, वहां निर्यात बाध्यता के पूरा करने की उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 31 मार्च, 2002 के परे नहीं बढ़ाई जाएगी।"।	3 मई, 1990
2.	सा.का.नि. 423 (अ),–– तारीख 20 अप्रैल, 1992 (160/92-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1992)	(i) उक्त अधिसूचना में, शर्त (iii) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–– "(iv) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इस संबंध में लोक सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निबंधनानुसार और उनके पूरा करने के अधीन रहते हुए, निर्यात बाध्यता के पूरा करने या ऐसी निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक निर्यात बाध्यता में कमी के नियमन की अवधि बढ़ाई जाने के लिए मंजूर करता है, वहां निर्यात बाध्यता के पूरा करने की उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 31 मार्च, 2002 के परे नहीं बढ़ाई जाएगी और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा माफी दी जा सकेगी।"।	20 अप्रैल, 1992
3.	सा.का.नि. 946 (अ),–– तारीख 28 दिसंबर, 1992 (307 / 92-सीमाशुल्क, तारीख 28 दिसंबर, 1992)	(i) उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः–– "(v) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इस संबंध में लोक सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निबंधनानुसार और उनके पूरा करने के अधीन रहते हुए, निर्यात बाध्यता के पूरा करने या ऐसी निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक निर्यात बाध्यता में कमी के नियमन की अवधि बढ़ाई जाने के लिए मंजूर करता है, वहां निर्यात बाध्यता के पूरा करने की उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 31 मार्च, 2002 के परे नहीं बढ़ाई जाएगी और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा माफी दी जा सकेगी।"।	28 दिसबंर, 1992
4.	सा.का.नि. 417 (अ),–– तारीख 14 मई, 1993 (122 / 93, सीमाशुल्क, तारीख 14 मई, 1993)	(i) उक्त अधिसूचना में, शर्त (iii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः–– "(iv) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इस संबंध में लोक सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निबंधनानुसार और उनके पूरा करने के अधीन रहते हुए, निर्यात बाध्यता के पूरा करने या ऐसी निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत से अनधिक निर्यात बाध्यता में कमी के नियमन की अवधि बढ़ाई जाने के लिए मंजूर करता है, वहां निर्यात बाध्यता के पूरा करने की उक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 31 मार्च, 2002 के परे नहीं बढ़ाई जाएगी और निर्यात बाध्यता में उक्त कमी को, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा माफी दी जा सकेगी।"।	14 मई, 1993